September 02, 2026 LTTL/L&S/2025-26/09/01

To,

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C - 1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Maharashtra, India

The Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Maharashtra, India

Dear Sir/Madam,

Sub : Newspaper advertisement for information regarding Twentieth Annual General Meeting of Le Travenues Technology Limited to be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")

Ref : Le Travenues Technology Limited (the "Company")

NSE Symbol: IXIGO and BSE Scrip Code: 544192

In compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform that the Twentieth Annual General Meeting of the Company will be convened on Wednesday, September 30, 2026, at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("**VC**") / Other Audio-Visual Means ("**OAVM**") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with various circulars issued by MCA, in respect of holding of AGM through VC / OAVM.

Please find enclosed a copy of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) - all editions and Jansatta (Hindi) - Delhi Edition on Wednesday, September 02, 2026, titled as 'Information regarding Twentieth Annual General Meeting of Le Travenues Technology Limited to be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")', with a request to shareholders to register/ update their email addresses, in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by MCA.

This announcement will also be available on the website of the Company at www.ixigo.com.

This is for your information and records.

Thank you,

For Le Travenues Technology Limited

SURESH KUMAR BHUTANI
Digitally signed by SURESH KUMAR BHUTANI
Date: 2026.09.02 12:07:00 +05'30'

Suresh Kumar Bhutani
(Group General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer)

SCO leaders pose for a photo before a session of the SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan, on Tuesday AP

AT SCO, MODI CALLS FOR DISMANTLING OF TERROR INFRA AS PAKISTAN PM LISTENS

Conflict does not stay confined: PM

SHUBHAJIT ROY
New Delhi, September 1

AS THE WAR in West Asia completed six months and a peace deal remained elusive, Prime Minister Narendra Modi told leaders of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) countries on Tuesday that the crisis demonstrated that a "conflict in one region does not remain confined there" and "impacts global energy security, maritime trade and supply chains" with the Global South bearing the brunt of the "consequences".

Addressing the SCO summit in the Kyrgyz capital Bishkek, Modi said India's position is that the "resolution of all tensions and conflicts is possible only through dialogue and diplomacy, not on the battlefield".

Among leaders at the summit was Iran's President Masoud Pezeshkian. Modi and Pezeshkian met on Monday for the first time since the start of the war.

"In today's interconnected world, the scope of security has expanded significantly. The crisis in West Asia has demonstrated that a conflict in one region does not remain confined there. It impacts global energy security, maritime trade and supply chains. The Global South bears the brunt of these consequences. Therefore, India has consistently maintained that the resolution of all tensions and conflicts is possible only through dialogue and diplomacy, not on the battlefield," the PM said.

And as Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif listened, Modi said, "Terrorism remains a grave challenge for all of humanity. In the fight against it, we cannot limit ourselves to a mere 'action-reaction' mindset."

"We must dismantle the entire ecosystem of terror financing, recruitment, radicalisation and safe havens. We must speak in one voice to declare that there is no room for double standards on this critical issue. Countries that use terrorism as an instrument of state policy and provide shelter and support to terrorists must be sent a strong message: Terrorism cannot be a strategic asset for anyone," he said.

In May 2025, days after the Pahalgam terror attack, India launched Operation Sindoor, striking terror targets in Pakistan-occupied Kashmir and Pakistan. This led to four days of hostilities which ended with Pakistan seeking a ceasefire.

On Tuesday, recalling India's three key pillars of its vision for the SCO: S for Security, C for Connectivity, and O for Opportunity, Modi said, "Over the past 25 years, the SCO has developed a strong tradition of dialogue and cooperation across the vast expanse of Eurasia. Together, we have made valuable contributions to the well-being of our people as well as to the progress of humanity. We have laid a solid foundation for cooperation over these 25 years. Now, our goal for the next 25 years should be to translate this cooperation into tangible results."

The summit was attended, among others, by Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. Modi met them informally during a group photograph session for the leaders. Xi and Putin are expected to attend the summit of the BRICS leaders in New Delhi on September 12-13.

PM Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping during the Shanghai Cooperation Organisation Summit, in Bishkek on Tuesday AP

Russia assures support to Iran

RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR Putin told Iranian President Masoud Pezeshkian at a meeting in Bishkek on Tuesday that Moscow stood in solidarity with the Iranian people in their fight for their interests. Putin also said Russia and Iran would maintain their economic and trade ties. Pezeshkian thanked Putin for Moscow's position on the Iran war and the resulting sanctions, and said Moscow and Tehran could resist what he called US "unilateralism". **REUTERS**

Security must be key priority: Xi

CHINESE PRESIDENT XI Jinping on Tuesday called on members of the Shanghai Cooperation Organisation to make security a key priority and crack down on terrorism, separatism and extremism, transnational organised crimes, drug trafficking and telecom fraud.

"We should stay committed to taking security as a key goal, and foster an environment of common security. We should pursue coordinated measures to tackle traditional and non-traditional security threats," Xi said while addressing the SCO summit in the Kyrgyz capital. He also spoke about the need for multilateral partnership for nuclear safety and security. **PTI**

NEET stir: SC quashes all FIRs against CJP protesters

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 1

THE SUPREME COURT on Tuesday quashed all FIRs registered against students who participated in the Cockroach Janta Party (CJP)-led protests across the country between July 20 and 25 and said the cases should not affect their future. Following the order, the group called off its September 5 march in the national capital.

A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant also directed the Centre to provide within three months compensation to families of students who ended their lives over the NEET paper leak.

The court, after closing the criminal proceedings against the protesters at the Centre's request, said, "Keeping in view the future prospects of the young protesters, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution to do complete justice." Article 142 empowers the apex court to pass any orders to do complete justice.

The bench said its invocation of Article 142 was subject to both sides abiding by the understanding reached before it.

The order came after Solicitor General Tushar Mehta said that the Centre and the states of Maharashtra, Assam, Bihar and West Bengal sought quashing of the FIRs linked to the protests.

Acceding to the Centre's request, the court, however, permitted Delhi Police to register fresh FIRs against 2,873 individuals with serious criminal antecedents who were present in the Jantar Mantar protest.

Welcoming the apex court's decision, Union Health Minister JP Nadda said the welfare and progress of the country's youth remained the government's utmost priority and asserted that all FIRs lodged against those who took part in the protests will be withdrawn, and no stringent action will be taken against any of them.

CJP Spokesperson Saurav Das celebrates the SC verdict with party supporters in New Delhi on Tuesday ANI

Nepal flood toll crosses 1,000; nearly 4,000 remain missing

THE DEATH TOLL in Nepal's flood crossed 1,000 on Tuesday, as rescuers used heavy machinery, helicopters and excavators to reach the thousands still missing, nearly a week after the catastrophic Himalayan disaster left a trail of destruction across towns and valleys.

Specialised rescue teams from China, India and Nepal built temporary bridges to reach remote areas and dug through the ruins of hydropower projects in the Himalayas, using excavators to rescue close to 300 workers trapped inside tunnels.

The collapse of a glacier on August 26 had sent a deluge of ice, rock and mud sweeping through Nepal's border region with China.

At least 639 people remain stuck in several devastated hydropower stations that have become the focus of rescue efforts, the country's disaster management authority said on Tuesday.

The total confirmed death toll rose to 1,003, with about 4,000 people still missing, including 590 foreign nationals from 39 countries.

Over 11,000 people have been rescued across the affected region, and power and communication lines were restored in some areas, he said, promising support for those who were displaced.

More than 9,200 personnel were deployed in the affected areas, coordinating the search and rescue of the injured, assisting in the management of bodies, opening blocked roads and conducting emergency treatment, the army said. **REUTERS**

Rescue personnel carry the body of a flood victim recovered from a flood-hit area in Rasuwa district, Nepal, on Tuesday PTI

राइट्स लिमिटेड

(नवरत्न सीपीएसई)

सीआईएन: L74899DL1974GOI007227
पंजीकृत कार्यालय : स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 (भारत)
निगमित कार्यालय : शिखर, प्लॉट सं. 1, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 (भारत)
वेबसाइट : www.rites.com; ईमेल : cs@rites.com
फोन : +91-124-257-1666; फैक्स : +91-124-257-1660

52वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। एजीएम की सूचना अलग से परिचालित की जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनियों को सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जा रही है।

एमसीए के परिपत्रों और सेबी के परिपत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.rites.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। एजीएम की सूचना में एजीएम में शामिल होने के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजनार्थ उपस्थित सदस्यों की संख्या में शामिल किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(ख) के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब-लिंक, जिसमें उसका सटीक पाथ भी शामिल है, उपलब्ध कराने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत नहीं हैं।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर अपना मत देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा ('ई-वोटिंग') भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए के पास पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निदेशों का पालन करें, ताकि कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपत्र, एनएसीएच सूचना आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किए जा सकें।

फिज़िकल होल्डिंग	सदस्यगण, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) तथा आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ई-मेल के माध्यम से आरटीए को rites@beetalfinancial.com / beetalrta@gmail.com अथवा कंपनी को cs@rites.com पर भेजें।
डीमैट होल्डिंग	जिन सदस्यों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अनुसरण में, सदस्यों को अंतरित की जाने वाली लाभांश आय कर योग्य होगी और इसलिए कंपनी सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती करने के लिए बाध्य है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2025 और उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन कंपनी/आरटीए के पास (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) तथा डिपॉजिटरी के पास (डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में) अद्यतन करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक फॉर्म/दस्तावेज 20.09.2026 तक **rites@beetalfinancial.com** या **cs@rites.com** पर ईमेल के माध्यम से जमा करें।

भौतिक शेयरों के अंतरण और डीमटीरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

सेबी के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे/खरीदे गए भौतिक शेयरों के अंतरण और डीमटीरियलाइजेशन के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो ऐसे अंतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी/अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/जिन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। पात्र सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के पास प्रस्तुत करें। इस संबंध में अधिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर निवेशक संसाधन खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।

कृते राइट्स लिमिटेड
हस्ता/–
निखिल अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 02.09.2026

We Shape What Shapes Lives www.rites.com

Future Ready Not just more of the same; but much more of the New!

REGENCY HEALTH

BHAROSE KA SPECIALIST

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड

सीआईएन: U85110UP1987PLC008792
पंजीकृत कार्यालय: ए-2, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश
फ़ोन: 0512-3502480, ईमेल: company.secretary@regencyhealthcare.in,
वेबसाइट: www.regencyhealthcare.in

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की **37वीं वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम") शुक्रवार, **25 सितंबर, 2026** को सुबह **11:00 बजे (IST)** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश, भारत में आयोजित की जाएगी। कंपनी ने शेयरधारकों को मंगलवार, 1 सितम्बर 2026 तक अनुमत मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना भेज दी है। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.regencyhealthcare.in** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में, शेयरधारकों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है और कारोबार ऐसी वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 सितंबर, 2026 सुबह 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी और गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 शाम 5:00 बजे (IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 24 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किये हैं और कंपनी का शेयरधारक बन गया है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

शेयरधारक ध्यान दें कि:

ए) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बी) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी;

सी) जिन शेयरधारक ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और

डी) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के साथ-साथ एनएसडीएल द्वारा शेयरधारकों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न/ शिकायत के मामले में, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट **www.evoting.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए 'ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, शेयरधारक श्री योगी श्रीवास्तव, कंपनी सचिव, बी-5 सर्वोदय नगर कानपुर-208005 से, **company.secretary@regencyhealthcare.in**, दूरभाष # 0512-3502661 पर संपर्क कर सकते हैं।

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
योगी श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

दिनांक: सितंबर 1, 2026
स्थान: कानपुर

---

ixigo

ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, वेरितास बिल्डिंग, सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, भारत
सीआईएन : L63000HR2006PLC071540, टेलीफोन : +91–124–6682111
ई-मेल : secretarial@ixigo.com वेबसाइट : www.ixigo.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("OAVM") के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

सदस्यगण नोट करें कि ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("**कंपनी**") की बीसवीं वार्षिक आम बैठक ("**AGM**") बुधवार, 30 सितम्बर 2026 को दोपहर 2:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("**VC/OAVM**") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों तथा दिनांक 05 मई 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और दिनांक 22 सितंबर 2025 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 (सामूहिक रूप से "**एमसीए परिपत्रों**") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें AGM की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसायों का निष्पादन किया जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, **MUFG Intime India Private Limited** ("**RTA**")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ixigo.com** पर और RTA की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in/** (ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) पर भी उपलब्ध होगी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, **BSE Limited** और **National Stock Exchange of India Limited** की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी देखा जा सकता है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(b) के अनुपालन में, उन सदस्यों को पत्र भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते RTA / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण देखने के लिए वेब लिंक और सटीक पथ शामिल होगा।

सदस्यगण AGM में केवल VC/OAVM सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं और AGM की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या AGM के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग/AGM के दौरान ई-वोटिंग/AGM में आभासी रूप से उपस्थित होने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया AGM की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन सदस्यों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण नीचे वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से करवा लें :

(क) जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं।

(ख) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं, वे RTA को **enotices@in.mpms.mufg.com** पर लिखित संदेश भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करवा सकते हैं।

यह सूचना MCA परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की गई है।

तिथि: 01 सितम्बर, 2026
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

वास्ते ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड
हस्ता./-
सुरेश कुमार भूटानी
(ग्रुप जनरल काउन्सिल, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
सदस्यता सं. F6400

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: D-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली – 110020
CIN: L74899DL1968PLC004962
टेलीफोन: 011-35008342 | **वेबसाइट:** www.salora.com | **ई-मेल आईडी:** info@salora.com

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड की 57वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक में सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। बैठक में 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों का निपटारा किया जाएगा। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी सूचीबद्धता विनियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("SEBI") द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

57वीं वार्षिक आम बैठक का माना गया स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् D-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली – 110020 होगा।

उपर्युक्त परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, 57वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 01 सितंबर, 2026 को उन सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी RTA/कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(b) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेज रही है, जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी/RTA/DP के पास पंजीकृत नहीं कराई है। उक्त पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक प्रदान किया गया है, जहां से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। 57वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.salora.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, जो अब तक संशोधित किए गए हैं, तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम आयोजित करने संबंधी सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके लिए NSDL द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) का उपयोग किया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (IST) से गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे (IST) तक होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके पश्चात, NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 18 सितंबर, 2026 से 25 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग एवं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.salora.com पर देखा जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2026 को शेयर धारण करता है, वह अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही NSDL पर ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो ऐसा सदस्य अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक www.evoting.nsdl.co.in के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं। अथवा वे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंधक को संबोधित करते हुए अपना अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित शिकायतों का भी निवारण करेंगे।

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मोहम्मद खिज़र अली खान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 02 सितंबर, 2026
स्थान: नई दिल्ली

THE crayons NETWORK

CRAYONS ADVERTISING LIMITED

Regd. Office: NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Industrial Estate, Phase-III New Delhi-110020. **Tel:** +91-11-011-41630000
E-mail: cs@thecrayonsnetwork.com; **Website:** www.thecrayonsnetwork.com;
CIN: L52109DL1986PLC024711

NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Crayons Advertising Limited will be held on Monday, the 28th day of September, 2026 at 03:00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of members at the AGM venue to transact businesses as set out in the notice of AGM. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Phase-III, New Delhi-110020.

In compliance with General Circular No. 03/2025 dated 22 September 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), read with General Circular No. 20/2020 dated 05 May 2020 and other applicable circulars issued by the MCA from time to time, companies are permitted to conduct their Annual General Meetings through VC/OAVM, without the physical presence of Members at a common venue, subject to the conditions prescribed therein. Accordingly, the 40th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Company is also complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2"), as applicable.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 40th AGM and Annual Report 2025-26 are also available on the website of the Company at www.thecrayonsnetwork.com, website of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, i.e. NSE Limited at **www.nseindia.com**

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), and Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its Members the electronic voting facility to enable them to cast their votes electronically by (a) remote e-voting prior to the AGM or (b) e-voting during the AGM. Accordingly, the items of business given in the Notice of the 40th AGM shall be transacted through electronic voting facilities provided by Skyline Financial Services Private Limited ('SFSPL').

Shareholders holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register the email id and other KYC details with their depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit Form ISR-1 (available to download from **www.thecrayonsnetwork.com**) to update their email, bank account details and other KYC details with Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA"), Skyline Financial Services Private Limited.

Shareholders may note that:

a) Once the vote on a resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently;

b) The facility for voting will also be made available during the AGM, and those Shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM;

c) The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

d) Only persons whose name is recorded in the register of Shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM;

Members whose email id have not been registered may download the Notice of the 40th AGM and Annual Report, from the website of the Company at **www.thecrayonsnetwork.com** under the investor relations tab.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows:-

a. The business(es) set out in the notice of AGM, will be transacted through remote e-voting or e-voting facility at the AGM.

b. The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Monday, 21st September 2026.**
A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the AGM and a person who is not a member on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

c. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 22nd September 2026 to Monday, 28th September 2026** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

d. The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting/ e-voting and instructions for participation in the AGM.

e. The remote e-voting period commences on **Friday, the 25th September 2026 (9:00 A.M.)** and end on **Sunday, the 27th September 2026 (5:00 P.M.)** (both days inclusive). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

f. Electronic Voting Even Number (EVEN): **260827048**

g. Any person who acquires shares and become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on cut-off date i.e. **Monday, 21st September, 2026** may obtain login Id and password by sending a request over email at **admin@skylinerta.com** mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. However Members who are already registered with NSDL/ CDSL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

h. Manner of voting for members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of AGM, which is also available on the website of the Company at **www.thecrayonsnetwork.com.**

i. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility of e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in the notice of AGM. Further members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM.

j. Akshat Garg & Associates, a Practicing Company Secretary Firm, (Certificate of Practice No. 10655, Membership No. F9161), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

k. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company **(www.thecrayonsnetwork.com)**, website of NSDL/ CDSL and website of Skyline Financial Services Private Limited **www.skylinerta.com** immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him to the Stock Exchanges i.e. NSE Limited. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. **28th September 2026.**

l. For attending meeting through VC/ OAVM and e-voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries/ grievances connected with attending meeting through VC/ OAVM and electronic voting, members may send an email to **admin@skylinerta.com** or contact on: - Tel: 011-26812682.

m. For further information, please refer to FAQs posted by National Securities Depository Limited on its website: **www.nsdl.co.in** and Central Depository Services (India) Limited on its website **www.cdslindia.com.**

For Crayons Advertising Limited
Sd/-
Akbar Mehtab
(Company Secretary & Compliance Officer)
Membership No. : ACS 51102

Date: 1st September, 2026
Place: New Delhi

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
COCHIN SHIPYARD LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची – 682015, फ़ोन: 0484 2501306,
ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in, वेबसाइट: www.cochinshipyard.in
सीआईएन: L63032KL1972GOI002414

शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016, ("नियम"), समय-समय पर संशोधित, कंपनी को उन इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") के नाम पर स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिन पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घोषित प्रथम अंतरिम लाभांश, जो सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किया गया हो, दिनांक 16 दिसंबर, 2026 की नियत तिथि से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में जमा किया जाएगा। जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया हो, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नियमों के अनुसार, जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, उन्हें दिनांक 01 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत सूचना भेजे गए हैं और ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.cochinshipyard.in) के "निवेशक" अनुभाग में "लाभांश" नामक टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एक अनुरोध पत्र के साथ क्लाइंट मास्टर सूची सहित अद्यतन बैंक खाता विवरण (आईएफएस कोड़ सहित) जिसमें उक्त लाभांश जमा किया जाना है उसे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या 35, मेफ्लावर एवेन्यू, सेंथिल नगर के पीछे, सोवरीपालयम रोड़, कोयंबत्तूर- 641028, दूरभाष संख्या: +91 (422) 2314792, 4958995 ई-मेल : iepf.shares@in.mpms.mufg.com को अग्रेषित करके अवैतनिक लाभांश का दावा करें।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दावा न किए गए प्रथम अंतरिम लाभांश का दावा दिनांक 09 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले किया जाएगा, ऐसा न करने पर उक्त लाभांश के साथ-साथ संबंधित शेयर बिना किसी और सूचना के उचित तिथि पर आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाएँगे और उसके बाद कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि शेयरधारक वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ 5 में ऑनलाइन आवेदन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश और शेयरों का दावा कर सकते हैं।

इस मामले पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ऊपर उल्लिखित पते पर संपर्क करें।

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
ह/-
श्यामकमल एन
कंपनी सचिव

कोच्ची
सितंबर 01, 2026

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

INDRAPRASTHA GAS

पंजीकृत कार्यालय : आईजीएल भवन, प्लाट सं. 4, सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022, भारत
ई-मेल : investors@igl.co.in, वेबसाइट : www.iglonline.net
फोन : 011-46074607, सीआईएन : L23201DL1998PLC097614

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा गया है) के अनुपालन में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी की 27वीं एजीएम गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे (आईएसटी) कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') द्वारा उपलब्ध कराई गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में बताए गए कामकाज को पूरा किया जा सके। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एजीएम में शामिल होने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थिति से एजीएम के लिए आवश्यक कोरम की गणना की जाएगी।

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम में किए जाने वाले कामकाज की जानकारी देने वाली सूचना और कंपनी की वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेज रही है जिनके ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं। इस पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेब–लिंक दिया जाएगा, जहाँ से वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। किसी भी सदस्य को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी। एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.iglonline.net** पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध होगी।

27वीं एजीएम से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

(i) जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जिसकी वजह से उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग के निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं, वे इस लिंक पर जाकर केफिनटेक के पास अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं:

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और ई–वोटिंग के निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ–साथ यूजर आईडी और पासवर्ड पाने के लिए ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

(ii) इसके अलावा, सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई–वोटिंग दिशानिर्देशों को भेजने के लिए **einward.ris@kfintech.com** पर अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की हुई प्रति, जिसमें ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व–सत्यापित पैन कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर सर्टिफिकेट की प्रति शामिल हो, ईमेल भेजकर भी अनुरोध कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो ऊपर बताई गई सुविधा केवल सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के निर्देशों के साथ–साथ यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईमेल पता के अस्थायी पंजीकरण के लिए है। ऐसे सदस्यों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ईमेल पता स्थायी रूप से पंजीकृत कराना होगा, ताकि उन्हें सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिल सकें।

जिन सदस्यों के पास भौतिक शेयर हैं, उन्हें कंपनी के आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास आईएसआर 1 फॉर्म जमा करके अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पिन के साथ डाक का पता और उसमें बताए गए संबंधित दस्तावेज पंजीकृत कराने होंगे।

आईएसआर 1 फॉर्म इस लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है:
https://ris.kfintech-com/clientservices/isc/isrforms.aspx
विस्तृत एफएक्यू इस लिंक पर देखे जा सकते हैं:
https://ris.kfintech.com/faq.html

सेबी ने अपने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से केवाईसी (पैन, नॉमिनेशन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर) को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। कृपया कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास यथाशीघ्र केवाईसी विवरण अपडेट करें, यदि पहले से नहीं किया गया है। इसके अलावा, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमटेरियलाइज्ड मोड में बदलवा लें।

ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने का तरीका

सदस्यों को एजीएम की सूचना में बताए गए कामकाज पर दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") के जरिए वोट डालने का अवसर मिलेगा। जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से वोट नहीं डाल पाए हैं, उनके लिए एजीएम के दौरान भी ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों को ईमेल नहीं मिला है या जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल बना सकते हैं। इन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए भी किया जा सकता है।

सीधे बैंक खातों में लाभांश पाने के लिए मैंडेट पंजीकृत कराने का तरीका:

फिजिकल होल्डिंग: सदस्य नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज कंपनी को **investors@igl.co.in** पर या उसके आरटीए को **einward.ris@kfintech.com** पर ईमेल कर सकते हैं

– पूर्ण रूप से भरे हुए और हस्ताक्षर किए गए अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, कंपनी के पास पंजीकृत पता, बैंक विवरण (बैंक का नाम, शाखा, पता, खाता नंबर, खाता प्रकार, एमआईसीआर नंबर, आईएफएससी कोड) शामिल हों।

– कंपनी के पास पंजीकृत पते के समर्थन में स्व–हस्ताक्षरित पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति और स्व–हस्ताक्षरित पते के प्रमाण (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड) की स्कैन की गई प्रति।

– सदस्य के नाम वाले या संयुक्त नाम से शेयर होने की स्थिति में पहले धारक के नाम वाले स्व–हस्ताक्षरित कैंसिल्ड चेक की स्कैन की गई कॉपी। यदि कैंसिल्ड चेक पर सदस्य का नाम नहीं है, तो बैंक पास–बुक स्टेटमेंट पेज की स्व–हस्ताक्षरित प्रति भेजें जिस पर सदस्य का नाम हो।

डीमैट होल्डिंग: डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना बैंक विवरण पंजीकृत करायें/अपडेट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और खासकर एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने के तरीके को अच्छी तरह से पढ़ें।

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
हस्ता./–
(विवेक सहाय)
कंपनी सचिव

तारीख: 1 सितम्बर, 2026
स्थान: नई दिल्ली